-: विज्ञप्ति :-

राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर (एनपीआर) डेटाबेस का अद्यतनीकरण एवं आधार सीडिंग के फील्ड सर्वे को डाटाबेस में समाहित करने के लिए डाटा सेंटरों की स्थापना, आपरेटरों की व्यवस्था, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षकों के लिए कम्प्यूटर व्यवस्था, पावर बैकअप, डाटा डाउनलोड करने के लिए इण्टरनेट की व्यवस्था, पेयजल, प्रसाधन आदि के साथ आपरेटरो द्वारा 120 दिवसों में कार्य पूर्ण कराने हेतु सेवा प्रदाता (वेंडर) का चयन हेतु टेण्डर प्रकाशित किया जा रहा है। इच्छुक संस्था/फर्म टेण्डर विज्ञप्ति प्रकाशन से दिनांक 23-07-2016 तक नायब नाजिर तहसील शामली से किसी भी कार्य दिवस में टेण्डर फार्म प्राप्त कर दिनांक 27-07-2016 को 2:00 बजे अपरान्ह तक जनगणना पटल पर रखे टेण्डर बॉक्स में डाले जा सकते हैं। टेण्डर उसी दिन दिनांक 27-07-2016 को 4:00 बजे सॉय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शामली के कलक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में समिति के समक्ष खोले जायेगें। टेण्डर फार्म व निविदा शर्तें shamli.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। टेण्डर को बिना कारण बताये जिलाधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
शामली।

कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।

संख्याः 2/05 /एनपीआर/से0प्र0(वेन्डर)/2016, दिनांक 16-07-2016

प्रतिलिपिः- सम्पादक, दैनिक अमर उजाला व हिन्दुस्तान समाचार पत्र को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्रों के नवीनतम अंक में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कराकर नियमानुसार समाचार पत्रो की प्रति सहित सत्यापित बिल वाउचर्स प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
शामली।

फार्म संख्या--

फार्म शुल्क--300/—

टेक्निकल बिड (निविदा प्रपत्र 01)

राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के क्षेत्र कार्य उपरान्त संसाधनों व नये सदस्यों की सूचनाओं को डेटाबेस मे समाहित करने हेतु सेण्टर की स्थापना करने हेतु सेवा–प्रदाता (वेन्डर) के चयन करने हेतु सामान्य विवरण :–

1 फर्म का नाम –

2 कम्पनी/फर्म का पूरा पता:–
टेलीफोन नम्बर.......................................फैक्स नम्बर...ई–मेल नम्बर...............

3 व्यापार कर का पंजीकरण संख्या, प्रभावी तिथि ....

4 आयकर पंजीयन संख्या/पैनकार्ड/सर्विस टैक्स नम्बर ....
प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न करें।

5 निविदादाता को 10/-- रूपये के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि फर्म को किसी सरकारी विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची में नही रखा गया है।

6 अर्नेस्ट मनी/धरोहर धनराशि का विवरण ....

7 राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्रॉफ्ट संख्या–...दिनांक ....

8 धनराशि.............................. बैंक शाखा जिस पर देय है ....

9 फर्म का गत तीन वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर स्टेटमेण्ट/आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें।

10 सबधित जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र (प्रति संलग्न करे) –

निविदादाता का घोषणा–पत्र

मै/हम घोषणा करते है कि मैने/हमने निहित प्रपत्र के समस्त शर्तो एवं निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तों तथा नियम मुझे/हमे पूर्ण रूप से स्वीकार है। मैं/हम सभी शर्तो के पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि मुझे/हमें निविदा के आधार पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझे/हमें गुणात्मक कार्य सम्पन्न करने हेतु अनुबन्ध को हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नही होगी।

फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/मोहर स्पष्ट नाम व पता सहित–

दिनांक –

स्थान –

संलग्नक –

फार्म संख्या–

वित्तीय बिड (निविदा प्रपत्र 02)

राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के क्षेत्र कार्य उपरान्त संसाधनों व नये सदस्यों की सूचनाओं को डेटाबेस में समाहित करने हेतु डाटा सेण्टर की स्थापना करने हेतु सेवा–प्रदाता (टेण्डर) के चयन करने हेतु सामान्य विवरण :–

1 फर्म का नाम–

2 फर्म का पूरा पता–

3 राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संशोधनों को डेटाबेस में समाहित करने की दर रू0 .... प्रति रिकार्ड की दर (प्रत्येक उपस्थित निवासी के डाटा हेतु)

4– राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संशोधनों को डेटाबेस में समाहित करने की दर रू0 ....प्रति रिकार्ड की दर (प्रत्येक अनुपस्थित सदस्य यथा–बहिर्प्रवासित एवं मृत सदस्य के डाटा हेतु)

5 इस दर में समस्त प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर समाहित है इसमें डाटा केन्द्रों की स्थापना, प्रशिक्षण, ऑपरेटरों का चयन, वेतन, पर्यवेक्षकों का मानदेय, कम्प्यूटरों की व्यवस्था, पावर बैक अप, डाटा डाउनलोड़ हेतु इन्टरनेट की सुविधा, पेयजल, प्रसाधन आदि समस्त व्यवस्थायें शामिल है। इसके अतिरिक्त कोई धनराशि देय नही होगी।

6 यह कार्य समयबद्ध रूप से 120 दिवसों में पूर्ण होना है। प्रति आपरेटर 200 रिकार्ड प्रतिदिन की दर से औसतन एन्ट्री की जानी है।

निविदादाता का घोषणा–पत्र

मै/हम घोषणा करते है कि मैने/हमने निहित प्रपत्र के समस्त शर्तो एवं निर्देश का .... अध्ययन कर लिया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें तथा नियम मुझे/हमे पूर्ण रूप से स्वीकार हैं। मैं/हम सभी शर्तों के पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि मुझे/हमें निविदा के आधार पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझें/हमें गुणात्मक कार्य सम्पन्न करने हेतु अनुबन्ध को हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नही होगी।

फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर/मोहर स्पष्ट नाम व पता सहित –

दिनांक –

स्थान –

संलग्नक –

—: निविदा नियम एवं शर्तें :—

01 निविदा प्रपत्र अलग–अलग दो सील्ड लिफाफों में जिसमें पहले में टेक्निकल बिड व दूसरे में वित्तीय बिड सील कर दोनो लिफाफे एक बडे लिफाफे में सील कर टेण्डर बाक्स में डाले जायेंगे। सील्ड लिफाफों के ऊपर अन्दर क्या प्रपत्र है वह अंकित किया जायेगा। प्रत्येक लिफाफे पर निविदादाता/फर्म का नाम और पता अंकित होना चाहिए।

02 तकनीकी बिड क्वालीफाईड करने वाले निविदादाता फर्गों की वित्तीय बिड खोली जायेगी जो निविदादाता तकनीकी बिड क्वालीफाई नही कर पायेगें, उनकी वित्तीय बिड नही खोली जायेगी अर्थात। उन पर कोई विचार नही किया जायेगा।

03 टेंडर फार्म का मूल्य अंकन 300/– होगा। कुल कार्य लगभग अंकन 45 लाख का होगा। अतः अर्नेस्ट मनी/धरोहर राशि कुल निविदा की 0.5 से 2 प्रतिशत के बीच अंकन 90 हजार रखी गई है।

04 टेंडर फार्म नायब नाजिर तहसील शामली से टेण्डर विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक से दिनांक 23–07–2016 की सांय 5:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। टेंडर दिनांक 27–07–2016 को अपरान्ह 02:00 बजे तक जनगणना पटल पर रखे टेंडर बॉक्स में डाले जा सकते हैं। टेंडर उसी दिन दिनांक 27.07.2016 को सांय 04:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शामली के कलक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में समिति के समक्ष खोले जायेगे।

05 क राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के क्षेत्रीय कार्य उपरान्त प्राप्त होने वाले संशोधनों एवं नए सदस्यों की सूचनाओं को डाटाबेस में समाहित करने हेतु डाटा सेन्टरों की स्थापना संस्था द्वारा किया जाना है तथा इस कार्य को 120 दिनों दिवसों में पूर्ण करवाने हेतु जनपद शामली में डाटा सेन्टर की स्थापना सेवा–प्रदाता (वेंडर) द्वारा करना होगा। इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 4 तक प्रत्येक उपस्थित निवासी के रिकार्ड का डाटा फीडिंग की दर तथा अनुपस्थित सदस्यों, बहिर्प्रवासित एव मृत सदस्यों के आंकडे फीडिंग रू0 1 तक प्रति रिकार्ड की दर तक निविदा दर अंकित की जा सकती है। रिकार्ड पूर्णतः गोपनीय रखना होगा। रिकार्ड के किसी भी अंश के सार्वजनिक होने की दशा में निविदादाता का पूर्ण उत्तरदायित्य होगा।

ख सेवा–प्रदाता (वेंडर) द्वारा डाटा सेन्टरों की स्थापना, प्रशिक्षण, आपरेटरों का चयन, आपरेटरों का वेतन, सुपरवाइजरो (पर्यवेक्षको) का मानदेय, समस्त करों इत्यादि सहित सभी खर्चे निविदा दर में शामिल हैं।

ग डाटा सेन्टर की स्थापना, आपरेटर के प्रशिक्षण की समस्त व्यवस्था, पर्यवेक्षकों हेतु अलग से कक्ष और कम्प्यूटर की व्यवस्था, पावर बैकअप, डाटा डाउनलोड हेतु इटरनेट व अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरणों की समस्त व्यवस्थाओं की सुविधा इसके अलावा पेयजल, प्रसाधन इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाएं वैण्डर द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी, जिसका निविदा की निर्धारित दर के अतिरिक्त कोई शुल्क नही लिया जायेगा। यदि संसाधनों में कमी पाई जाये तो तदनुसार मेरे भुगतान से कटौती किये जाने पर मुझ संस्था को कोई आपत्ति नही होगी।

घ आपरेटरों की संख्या प्रति आपरेटर 200 रिकार्ड प्रतिदिन के औसत की दर से जिले की दर से जिले की जनसंख्या के सापेक्ष निर्धारण करना होगा व रिजर्व आपेरटर भी रखे जायेगें। आपरेटरों की न्यूनतम योग्यता 10+2 पास कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अग्रेजी में डाटा एंट्री करने मे सक्षम होगे। वेंडर को ऑपरेटर के वेतन हेतु राज्य की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन करेगें।

ङ प्रत्येक 5 ऑपरेटर पर एक सुपरवाईजर (पर्यवेक्षक) कार्य करेगा। पर्यवेक्षक राज्य सरकार के कर्मियों को बनाया जायेगा, जिन्हे कम्प्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान होगा। पर्यवेक्षक प्रत्येक आपरेटर के 20 प्रतिशत कार्य की गुणवत्ता की जांच करेगा, नामित पर्यवेक्षक को निर्देशानुसार मानेदय दिये जाने का प्रावधान है। आपरेटरों द्वारा किये गये डाटाएंट्री कार्य की गुणवत्ता जांच उपरान्त पर्यवेक्षक द्वारा ईबी के अंतिम आंकडों को एनपीआर पोर्टल पर अपलोड करेगा।

च एनपीआर की समस्त डाटा एन्ट्री हेतु सॉफ्टवेयर एनपीआर पर npr-rgi.nic.in के डाउनलोड शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया जायेगा व प्रशिक्षण जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा प्रेषित अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से प्रदान कराया जायेगा।

छ डाटा सेंटर में कार्य सम्पन्न कराने हेतु डाली गयी किसी भी या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वेंडर के चयन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष में निहित होगा। जिसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में चुनौती का अधिकार नही होगा। अर्नेस्ट मनी/धरोहर की धनराशि अंकन 90 हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट जिला जनगणना अधिकारी, शामली के नाम तैयार कर तकनीकी बिड के साथ मुहरबंद लिफाफे में डाली जायेगी।

ज जिस व्यक्ति के नाम टेण्डर छूटेगा/स्वीकृत होगा उसको टेण्डर की कुल धनराशि का 10 प्रतिशत तत्समय ही जमानत राशि के रूप में जमा कराना होगा।

06 क उक्त श्रेणी के कार्य करने का कम से कम दो कार्य करने का अनुभव है, पुष्टि स्वरूप विभागवार किये गये कार्य का विवरण देना होगा।

ख फर्म जो कम से कम पांच वर्ष से कार्यशील दशा में हो, के नवीनीकृत रजिस्ट्रेशन व बायलॉज की प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ जमा करनी होगी। निविदादाता फर्म का पिछले तीन वर्षो का न्यूनतम टर्नओवर रूपया 1500000/- प्रतिवर्ष या तीन वर्षो की कुल टर्न ओवर 45,00,000/-(पैंतालीस लाख रूपया मात्र) होना आवश्यक है। जिसकी पुष्टि हेतु निविदादाता को पिछले तीन वर्षो का चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा तैयार की गई बैलेसशीट की कॉपी एवं दाखिल की गई आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न कराना अनिवार्य होगा। पेन कार्ड, सर्विस टैक्स व टिन के वैद्य पंजीकरण प्रपत्र की प्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी जरूरी है।

ग निविदादाता को 10/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ -पत्र देना होगा कि फर्म को किसी सरकारी विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची में नही रखा गया है।

घ उपरोक्त सभी आवश्यक सूचनायें/अभिलेख तकनीकी बिड वाले लिफाफे में रखनी होगा।

ङ दरों की तुलनात्मक विवरणानुसार निविदा की स्वीकृत न्यूनतम दरों के आधार पर निविदादाता फर्म को की जायेगी।

07 स्वीकृत निविदादाता फर्म को सम्पूर्ण कार्य आदेश प्राप्त होने के बाद 120 दिन के भीतर कार्य पूर्ण करके जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शामली को कार्य समाप्ति का प्रमाण-पत्र देना होगा। नियत समय में कार्य पूर्ण न करने अथवा उच्चाधिकारियों से समय न बढाये जाने की दशा में निविदादाता फर्म से 2000/- रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड आरोपित किया जा सकता है, जो उनको देय भुगतान से काट लिया जायेगा। साथ ही ब्लैकलिस्ट किया जायेगा।

08 कार्य की मात्रा घट बढ सकती है तथा कार्यादेश आवश्यकतानुसार खण्डों में जारी किये जा सकते हैं। अतः वास्तविक कार्य के आधार पर बजट की उपलब्धता पर भुगतान स्वीकृत दर से किया जायेगा।

09 निविदा हेतु वित्तीयबिड वाले लिफाफे के दरें सभी प्रकार के करों को सम्मिलित करते हुऐ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, कोई अलग से भुगतान नही किया जायेगा।

10 स्वीकृत निविदादाता फर्म को सम्बन्धित कार्य सम्पन्न होने के प्रमाण के उपरान्त बिल प्रमाण-पत्र के साथ मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा।

11 व्यापार .कर/आयकर देय भुगतान से नियमानुसार कटौती कर कार्यालय द्वारा भुगतान किया जायेगा। काटा गया व्यापार कर/आयकर सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा। जिसके चालान की प्रति फर्म को उपलब्ध करायी जायेगी।

12 अनुबन्धित कार्य निष्पादन या उससे सम्बन्धित किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर ARBITRATION AND CONCILIATION ACT 1996 के प्राविधान के अनुसार विवाद का निर्णय नही किया जायेगा बल्कि Aggreived पक्ष को सीधे न्यायालय के न्यायाधिकरण क्षेत्र में विवाद निस्तारित कराना होगा।

13 पक्षकारों द्वारा वाद लाये जाने की स्थिति में न्यायाधिकरण क्षेत्र जनपद शामली होगा।